समक्ष श्रीमान् राजस्व मंडल (लिंक कोर्ट), सागर

प्र. क.
तारीख पेशी

निग /2972/II/15

सत्येन्द्र सिंह उर्फ सन्तोष सिंह हजारी उम्र 82 वर्ष पेशा वकालत वल्द स्व. श्री प्रताप सिंह हजारी साकिन स्टेशन रोड दमोह तह व जिला – दमोह म.प्र.
.........................रिवीजनकर्ता

बनाम

प्रकाश राठौर पिता स्व. श्री लक्ष्मन प्रसाद राठौर निवासी खजरी मुहल्ला, सिविल वार्ड, दमोह तह. व जिला दमोह म.प्र.

........................उत्तरवादी

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता
विरूद्ध आदेश दिनांक 08/04/2015 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक सर्किल– दमोह 2 तह व जिला दमोह अंदर रा.प्र.क. 39 अ/12 वर्ष 14–15 पक्षकार प्रकाश वल्द लक्ष्मन राठौर बनाम म.प्र. शासन जिसमें इस रिवीजनकर्ता को सरहदी व हितबध्द काश्तकार होने के बावजूद बिना सूचना पत्र दिये स्थल निरीक्षण किया गया।

रिवीजनकर्ता अन्य आधारों के अलावा निम्न लिखित आधारों पर यह रिवीजन प्रस्तुत करता है :–

1. यह कि राजस्व निरीक्षक दमोह 2 के द्वारा आलोच्य स्थल निरीक्षण करने में कानून एवं तथ्यों की महान भूल की है।

2. यह कि राजस्व निरीक्षक के द्वारा उत्तरवादी के सीमांकन आवेदन एवं उसके साथ संलग्न बैनामे तथा खसरा नक्शा तथा बी–1 के आधार पर सीमांकन का प्रकरण दिनांक 8/4/15 को सीमांकन हेतु निर्धारित दायरा पंजी वर्ष 2014–15 सीमांकन में राजस्व प्रकरण क. 39अ/12 दर्ज करते हुये प्रकरण पजीबद्ध किया था। जिसमें राजस्व निरीक्षक का नैतिक दायित्व था कि वह बैनामे में उल्लिखित भूमि की चर्तुसीमा से लगे सभी काश्तकारों को या सम्बंधित व्यक्तियों को सीमांकन हेतु मौके पर उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र देता किन्तु राजस्व निरीक्षक के द्वारा अपनी आदेश पत्रिका में न तो सूचना पत्र का हवाला

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–2972–दो / 2015 जिला–दमोह

सत्येन्द्र सिंह विरूद्ध प्रकाश राठौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक सर्किल दमोह, जिला–दमोह के प्रकरण क्रमांक 39 / अ–12 / 2014–15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 08–04–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 06–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य 08/3/19	